न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 61/2014 (223 आरटीए) भंवरसिंह वगै. बनाम इन्द्रसिंह वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2014/00074)

1 भंवरसिंह पुत्र श्री मोडसिंह,
2 श्रीमती कमूकंवर पत्नी स्व. श्री गंभीरसिंह,
3 भोमसिंह पुत्र श्री गंभीरसिंह,
4 हीरसिंह पुत्र श्री गंभीरसिंह,
5 प्रेमसिंह पुत्र श्री गंभीरसिंह,
क्रम सं. 4 व 5 नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता श्रीमती कमूकंवर पत्नी गंभीरसिंह,
6 मगसिंह पुत्र स्व. मुलतानसिंह,
7 रेवंतसिंह पुत्र स्व. मुलतानसिंह,
8 हनुमानसिंह पुत्र स्व. मुलतानसिंह,
9 कालूसिंह पुत्र स्व. मुलतानसिंह
सभी जाति राजपूत निवासीगण टेकरा, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1 इन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

.... रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 09.05.2012 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 13/2013

उपस्थित :
1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलादसिंह भाटी।
3 रेस्पो. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 23.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर फलोदी के राजस्व वाद सं. 13/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व वाद सं. 13/2013 पेश किया कि रेस्पो. सं. 1/वादी व अपीलांट्स के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 649 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 650 रकबा 9 बीघा, खसरा नं. 651 रकबा 66 बीघा, खसरा नं. 691 रकबा 64 बीघा, खसरा नं. 692 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 693 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा न. 694 रकबा 17 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नं. 695 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 696 रकबा 5 बीघा खसरा नं. 697 रकबा 100 बीघा 8 बिस्वा, कुल खसरा 10 कुल रकबा 293 बीघा 7 बिस्वा के रूप में ग्राम जैसेरी पटवार मण्डल टेकरा में स्थित है। उक्त भूमि के संपूर्ण रकबा में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 से 5 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 6 से 10 का 1/3 हिस्सा बंट में आता है। सभी दावेदार अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते हैं एवं मौके पर काबिज हैं। सभी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 के मध्य ग्राम जैसेरी के वादग्रस्त भूमि में आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व अक्षय तृतीया के अवसर पर मौके पर कणे डालकर मौखिक रूप से भूमि का बंटवाड़ा भी कर दिया गया था परंतु उक्त बंटवाड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अमल दरामद नहीं हुआ था। अतः वादी पूर्व मौखिक बंटवारे अनुसार बंटवारा कराने का अधिकारी है तथा किन्ही परिस्थितियों में अदालत पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़े को मान्यता प्रदान नहीं करे तो वादी अपने 1/3 हिस्से अर्थात रकबा 97 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने का अधिकारी है। अतः वादी द्वारा दावे में प्रार्थना की गई कि ग्राम जैसेरी तहसील फलोदी के खसरा नं. 649 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 650 रकबा 9 बीघा, खसरा नं. 651 रकबा 66 बीघा, खसरानं. 691 रकबा 64 बीघा, खसरा नं. 692 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 693 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा न. 694 रकबा 17 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नं. 695 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 696 रकबा 5 बीघा खसरा नं. 697 रकबा 100 बीघा 8 बिस्वा, कुल खसरा 10 कुल रकबा 293 बीघा 7 बिस्वा के 1/3 हिस्से अर्थात रकबा 97 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में पृथक से अंकन दर्ज कर तरमीम अलग करवाई जावे। वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 की एक पक्षीय कार्यवाही कार्यवाही करते हुए प्रकरण में वादी के अधिवक्ता की बहस सुनकर वादी का वाद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनाक 09.05.2012 के जरिए प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाददर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब

किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भयंकर कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को उक्त वाद में कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गया बल्कि तमाम कार्यवाही फर्जीवाड़ा करते हुए की गई है जो पत्रावली में नोटिसों के अवलोकन से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन नाबालिग प्रतिवादीगण को वाद में पक्षकार बनाया है उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। वर्तमान मामले में नाबालिग प्रतिवादीगण के अदालती वली मुकर्रर किए बिना कोई कार्यवाही दावे में नहीं की जा सकती थी इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अनाधिकारपूर्ण हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नोटिस फर्जी प्रक्रिया अपना कर तामील करवाए गए जो प्रतिवादीगण अनपढ़ है एवं हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते उनके द्वारा भी नोटिस प्राप्त करना लिखा जाकर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। प्रकरण में कमूकंवर व मगसिह अनपढ़ हैं। पत्रावली में उपलब्ध नोटिसों पर एक ही कलम से व एक ही व्यक्ति द्वारा नोटिस पर प्राप्ति दिखाई गई है जो जाहिरा तौर पर फर्जी प्रतीत होता है इस प्रकार नोटिसों पर किसी थर्ड पर्सन ने हस्ताक्षर किए हैं जो पर्याप्त तामील की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि लिपिक वर्गीय व्यक्ति ने आदेशिका लिखी एवं उस पर पीठासीन अधिकारी ने हस्ताक्षर करते हुए एकतरफा कार्यवाही कर दी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में तमाम कार्यवाही जल्दबाजी दिखाते हुए आनन फानन में की गई। वाद दिनांक 24.02.2012 को दर्ज किया गया व दिनांक 09.05.2012 को निर्णय ही कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पारित निर्णय व डिक्री एक पक्षीय रूप से वादी के कथन अनुसार जारी कर दी है जिससे अपीलांट्स के हितो पर कुठाराघात हो रहा है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त करने एवं अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलांट्स के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नहीं दिया न उन्हें कोई नोटिस मिला, तमाम कार्यवाही फर्जी तरीके से करते हुए तामील करवाई गई। अपीलाथीगण को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबंदी की नकल की आवश्यकता हुई तो दिनांक 12.08.2014 को पटवारी के पास जाकर खाते की नकल मांगी तो उन्होंने बताया कि खाता अलग–अलग हो चुका है उस खाते की नकल अपीलार्थीगण को दिनांक 13.08.2014 को उपलब्ध करवाई गई तथा उसके बाद दिनांक 13.08.2014 को ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल

सहायक कलेक्टर फलोदी के कार्यालय से प्राप्त होने पर प्रथम बार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी, प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश की गई है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

बहस के दौरान रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी पर बहस करते हुए अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट को नोटिस तामील नहीं हुए हैं व निर्णय व डिक्री एक पक्षीय जारी हुए हैं जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 12.08.2014 को हुई। रेस्पो. सं. 1 ने अपने अनुसार निर्णय व डिक्री करवा कर एक पक्षीय डिक्री की पालना करवा ली है जो अपीलांट पर बेअसर है क्योंकि जैसे ही अपीलांट को जानकारी हुई वैसे ही अपीलांट ने निर्णय व डिक्री की अपील कर दी है। अतः इस स्टेज पर मौका कमिश्नर नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं हैं अतः इस प्रार्थना पत्र से अपील के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता ने जो नजीर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.11.2017 के संबंध में पेश की है वह अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं करने के संबंध में हैं जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णय व डिक्री की पालना के संबंध में हैं अतः प्रस्तुत नजीर के तथ्य एवं प्रार्थना पत्र के तथ्य भिन्न होने से यह नजीर इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। तदनुसार प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं अपील का मैरिट पर निर्णय करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलादसिंह भाटी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने अपने वाद को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है जिस पर वादी काबिज है अतः तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पो. सं. 1 के वाद को आंशिक स्वीकार करते हुए वादी का संपूर्ण हिस्से में 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 6 से 10 का संपूर्ण भूमि में 1/3 हिस्सा तय किया है व इसी हिस्से अनुसार बंटवारा स्वीकार किया गया है। तहसीलदार फलोदी को इसी बंटवाड़ा अनुसार मोके पर जाकर पक्षकारान के कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक बंटवाड़ा प्रस्ताव दो प्रतियों में मंगाने के आदेश दिए गए जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपीलांट्स ने तामील के संबंध में गलत कथन अपील में अंकित किए हैं। अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को व्यक्तिगत तामील हुई है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर विधि के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अपीलांट्स का यह

कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नहीं दिया न उन्हें कोई नोटिस मिला, तमाम कार्यवाही फर्जी तरीके से करते हुए तामील करवाई गई है, लेकिन अपीलांट्स द्वारा तामील की कार्यवाही को केवल फर्जी कार्यवाही बताया है परंतु अपीलांट ने इस फर्जी कार्यवाही के विरुद्ध कोई अभियोजन की कार्यवाही नहीं की है अतः अपीलांट्स के इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने यह तथ्य अंकित नहीं किया है कि उनको अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कैसे व कब हुई इसका आधार नहीं लिखा है। अतः तथ्यों एवं जानकारी का विवरण अंकित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2012 की है जबकि अपीलांट्स ने दिनांक 26.08.2014 को अपील 2 वर्ष से भी अधिक समय बाद पेश की है। अतः अपील स्पष्ट तौर पर मियाद बाहर है। अतः अपीलांट की अपील को मियाद बाहर होने एवं मैरिट दोनों ही आधारों पर खारिज करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान ही रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी पेश किया जिसकी प्रतिलिपि अपीलांट के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार को दी गई जिस पर भी बहस सुनी गई। रेस्पो. के अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के क्रियान्वयन में अपने हिस्से की जमीन 97 बीघा 16 बिस्वा पर पत्थरगढ़ी करवा कर तारबंदी एवं फेंशिग करवा दी गई है व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में भी अमल दरामद हो चुका है। तकनीकी त्रुटि को दूर करने के लिए पूर्व में सहखातेदारान के मध्य हुए मौखिक बंटवारे को रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। रेस्पो. सं. 1 ने पूर्व में हुए मौखिक बंटवारे के अनुरूप अपने हिस्से के सीमांकन बावत विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जो नियमानुसार प्रतिवादीगण पर तामील होने के उपरांत कानूनन निर्णित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का मौके पर दिनांक 18.11.2013 से पूर्व क्रियान्वयन हो चुका है ऐसी सूरत में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आधार हीन होने से इस स्तर पर कानूनन मियाद बाहर होने से पोषणीय नहीं हैं। रेस्पो. सं. 1 के हिस्से में आई संपूर्ण जमीन पर पत्थरगढ़ी की फेशिंग की हुई है इस तथ्य के अलावा अपीलांट्स के हिस्से में आई जमीन पर वे अलग–अलग काबिज काश्त हैं। इन परिस्थितियों में अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों को आधार बनाकर मौजूदा अपील प्रस्तुत की है। रेस्पो. सं. 1 के हिस्से में आई जमीन एवं स्थिति के बाबत मौके की स्थिति जरिए राजस्व मौका कमिश्नर के मंगवाए जाने से वादग्रस्त जमीन के बाबत मौका एवं रिकार्ड की स्थिति

माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकट हो सकेगी। प्रकरण में अंतर्लिप्त बिंदु न्यायोचित निर्णय के लिए अंतर्लिप्त वादग्रस्त जमीन की स्थिति रिकार्ड पर आने से किसी भी पक्षकार को हानि होने की संभावना नहीं हैं अतः मौका कमिश्नर हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर रखते हुए स्वीकार करने का निवेदन किया साथ ही अपने प्रार्थना पत्र की बहस के समर्थन में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 2986/2017 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2017 पेश किया।

6 रेस्पो. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी। ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपील के साथ अपीलांट ने धारा–5 मियाद अधिनयिम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नहीं दिया न उन्हें कोई नोटिस मिला, तमाम कार्यवाही फर्जी तरीके से करते हुए तामील करवाई गई। अपीलार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबंदी की नकल की आवश्यकता हुई तो दिनांक 12.08.2014 को पटवारी के पास जाकर खाते की नकल मांगी तो उन्होंने बताया कि खाता अलग–अलग हो चुका है उस खाते की नकल अपीलार्थी को दिनांक 13.08.2014 को उपलब्ध करवाई गई तथा उसके बाद दिनांक 13.08.2014 को ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल सहायक कलेक्टर फलोदी के कार्यालय से प्राप्त होने पर प्रथम बार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी, प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश की गई है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किया गया है। फर्जकारी तरीके से तामील के संबंध में अपील मीमो व अपील बहस में भी विस्तृत कथन किया है कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नोटिस फर्जी प्रक्रिया अपना कर तामील करवाए गए जो प्रतिवादीगण अनपढ़ है एवं हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते उनके द्वारा भी नोटिस प्राप्त करना लिखा जाकर उनके हस्ताक्षर होना बताया है प्रकरण में कमूकंवर व मगसिह अनपढ़ हैं। पत्रावली में उपलब्ध नोटिसों पर एक ही कलम से व एक ही व्यक्ति द्वारा नोटिस पर प्राप्ति दिखाई गई है जो जाहिरा तौर पर फर्जी प्रतीत होता है इस प्रकार नोटिसों पर किसी थर्ड पर्सन ने हस्ताक्षर किए हैं जो पर्याप्त तामील की श्रेणी में नहीं आता है। मैंने स्वयं ने भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न भंवरसिह, श्रीमती कमूकंवर, हीरसिंह,

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

भोमसिंह, प्रेमसिंह नाबालिग जरिए कमूकंवर, श्रीमती कमला कंवर, मगसिंह, रेवंतसिंह, हनुमानसिंह व कालूसिंह के सम्मन पर तामील के हस्ताक्षरों का अवलोकन किया उक्त सभी को खुद से तामील करना बताया है लेकिन इस तामील के संबंध में सम्मन पर दो गवाहों के हस्ताक्षर व उनका नाम पता अंकित नहीं हैं। इस प्रकरण में तामील आदेश 5 नियम 16 के तहत करवाई गई है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 18 की पालना किया जाना आवश्यक होता है। आदेश 5 नियम 18 के अनुसार तामील कराने वाला अधिकारी उन सभी दशाओं में जिसमें सम्मन की तामील आदेश 5 नियम 16 के अधीन की गई है उस समय को जब और उस रीति को जिससे सम्मन की तामील की गई थी और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो सम्मन के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था तो उसका नाम और पता कथत करने वाली विवरणी मूल समन पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल सम्मन से उपाबद्ध करेगा या कराएगा। सम्मन के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर किसी प्रकार के गवाह के हस्ताक्षर नाम व पता अंकित नहीं हैं। तथा तामील कुनिंदा द्वारा तामील कराने की दिनांक तक का उल्लेख नहीं हैं। इसलिए इसे पर्याप्त तामील नहीं माना जा सकता। अपीलांट का कथन है कि तामील पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं इस संबंध में मैंने उन हस्ताक्षरों को गहराई से देखा तो सभी हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि के प्रतीत होते हैं तथा अपीलांट का तो यह भी कथन है कि प्रतिवादी कमूकंवर व मगसिंह तो अनपढ़ हैं तो उनके हस्ताक्षर तो संभव भी नहीं हैं। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने इस कथन का कोई खण्डन नहीं किया तथा धारा–5 के प्रार्थना पत्र के तथ्यों के खण्डन में कोई काउंटर शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलांट द्वारा अभियोजन की कार्यवाही नहीं की है इसलिए इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता परंतु उन्होंने इस संबंध में ऐसा कोई कानून पेश नहीं किया जिसमें अभियोजन की कार्यवाही की अनिवार्यता हो। अतः उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट्स को सम्मन की तामील नहीं हुई है अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एक पक्षीय होने से उसकी जानकारी अपीलांट को न होने की पूर्ण संभावना है। दूसरी तरफ रेस्पो. सं. 1 की ओर से ऐसा कोई तथ्य या सबूत पेश नहीं किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.08.2014 से पूर्व हो गई थी। अतः अपीलांट द्वारा धारा–5 के तथ्यों का खण्डन नहीं करने एवं काउंटर शपथ पत्र पेश नहीं करने के कारण अपीलांट के शपथ पत्र एवं सम्मन पर बिना गवाह की तामील जो अनपढ़ व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि में हस्ताक्षर होने से फर्जी भी प्रतीत होती है के आधार पर निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय अपीलांट को नहीं होना प्रमाणित है। अतः अपीलांट का धारा–5 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में

23/7
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9 इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7, बहस लगभग पूर्ण होने के दौरान रेस्पो. 1 के अधिवक्ता ने पेश किया। यह पत्रावली दिनांक 04.10.2016 को बहस में रखी गई। लेकिन इस पत्रावली पर दिनांक 17.11. 2016, 18.01.2017, 10.02.2017, 16.03.2017, 11.04.2017, 25.04.2017, 08. 05.2017, 25.05.2017, 16.06.2017, 23.06.2017, 14.07.2017, 27.07.2017, 24.08.2017 को बहस करने के लिए अवसर दिए गए परंतु बहस नहीं की। उसके पश्चात दिनांक 27.09.2017, 27.10.2017, 29.11.2017 को बहस करने अवसर दिया गया। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद बहस नहीं करने के कारण दिनांक 29.11.2017 को आदेशिका में यह हिदायत दी गई कि दिनांक 29.12.2017 को आवश्यक रूप से बहस करें। उसके बाद दिनांक 29.12.2017 व 22.02.2018 को अवसर दिया गया। दिनांक 22.02. 2018 को भी रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता ने बहस नहीं की और समय चाहा इस पर अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई व रेस्पो. के अधिवक्ता को पुनः एक अवसर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 16.03.2018, 03.04. 2018, 23.04.2018, 21.05.2018, 06.06.2018 व 26.06.2018 को रेस्पो सं. 1 के अधिवक्ता को बहस करने हेतु समय दिया गया लेकिन बहस नहीं की। आखिर में इस प्रकरण पर दिनांक 13.07.2017 को बहस सुनी जा सकी। इस प्रकार इस प्रकरण में अधिकांश तारीख पेशियों पर रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा व हिदायत देने के बावजूद भी बहस नहीं की इस प्रकरण में काफी समय पश्चात अर्थात लगभग 2 वर्ष पश्चात 25 अवसर दिए जाने के बाद दिनांक 13.07.2017 को बहस सुनी गई। बहस लगभग पूर्ण होने पर रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 पेश किया व जिस पर भी बहस सुनी गई। आवेदन केवल इसलिए प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में डिक्री की पालना हो चुकी है या नहीं यह मौके पर देखना है। इस प्रकार का आवेदन केवल प्रकरण को लंबा करने की दृष्टि से लगाया गया है क्योंकि एक पक्षीय डिक्री की पालना होने से अपील के निर्णय पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 इस स्टेज पर औचित्य हीन प्रतीत होता है क्योकि पत्रावली लगभग 2 वर्ष से बहस में नियत थी एवं रेस्पो. के अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं की जा रही थी अतः केवल प्रकरण को बिलंबित करने की दृष्टि से ही उक्त आवेदन प्रस्तुत करना प्रतीत होता है। चूंकि इस आवेदन पत्र की प्रकृति से ही स्पष्ट है कि यह केवल औपचारिक प्रार्थना पत्र है। रेस्पो. के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के संबंध में है। जबकि यह प्रार्थना पत्र प्रकरण में डिक्री की पालना के संबंध में है अतः नजीर के तथ्य भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं

2/3/7
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

होते हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन करने एवं उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनने के पश्चात इस न्यायालय की राय में यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

10 इस प्रकरण की मैरिट पर निर्णय के लिए रेस्पो. सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/प्रतिवादी सं. 1 से 10 की दिनांक 20.03.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही की है परंतु जैसा कि बिंदु संख्या 5 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है कि अपीलांट्स/प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 को जो तामील कराना बताया जा रहा है वह पर्याप्त तामील की श्रेणी नहीं आती है। अतः एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया जाना प्रमाणित होता है। यह निर्णय व डिक्री एक पक्षीय होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। इसके अलावा यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की गुणवत्ता पर भी विश्लेषण किया जावे तो यह निर्णय व डिक्री वादी द्वारा अपना दावा सिद्ध किए बिना ही पारित की गई है। वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 649 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 650 रकबा 9 बीघा, खसरा नं. 651 रकबा 66 बीघा, खसरानं. 691 रकबा 64 बीघा, खसरा नं. 692 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 693 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा न. 694 रकबा 17 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नं. 695 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 696 रकबा 5 बीघा खसरा नं. 697 रकबा 100 बीघा 8 बिस्वा, कुल खसरा 10 कुल रकबा 293 बीघा 7 बिस्वा ग्राम जैसेरी पटवार मण्डल टेकरा में स्थित है जो रेस्पो. सं. 1/वादी व अपीलांट्स के संयुक्त खातेदारी की है। संपूर्ण रकबा में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 से 5 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 6 से 10 का 1/3 हिस्सा बंट में आता है। सभी दावेदार अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते हैं एवं मौके पर काबिज हैं। सभी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 के मध्य ग्राम जैसेरी के वादग्रस्त भूमि में आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व अक्षय तृतीया के अवसर पर मौके पर कणे डालकर मौखिक रूप से भूमि का बंटवाड़ा भी कर दिया गया था परंतु उक्त बंटवाड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अमल दरामद नहीं हुआ था। अतः पूर्व मौखिक बंटवारे अनुसार बंटवारा कराने का अधिकारी है तथा किन्ही परिस्थितियों में अदालत पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़े को मान्यता प्रदान नहीं करे तो वादी अपने 1/3 हिस्से अर्थात रकबा 97 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने का अधिकारी है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करना अंकित कर दावे को इस प्रकार प्राथमिक डिक्री किया है कि वादी का संपूर्ण हिस्से में 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 6 से 10 का संपूर्ण भूमि में 1/3 हिस्सा तय किया व इसी हिस्से अनुसार

बंटवारा स्वीकार किया। तहसीलदार फलोदी को इसी बंटवाड़ा अनुसार मौके पर जाकर पक्षकारान के कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक बंटवाड़ा प्रस्ताव दो प्रतियों में मंगाने के आदेश दिए गए। इस निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया जाना कि बंटवाड़ा मौके पर जाकर पक्षकारान के कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार करें विधिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं हैं। वादी ने अपने दावे में पूर्व में बंटवारा होने को प्रमाणित नहीं किया है क्योंकि पूर्व मौखिक बंटवारा के संबंध में जो मौखिक साक्ष्य है उसमें खसरा नंबरान का उल्लेख नहीं हैं अतः कब्जे के आधार पर यह दावा प्रमाणित नहीं हैं अतः अधीनस्थ न्यायालय को केवल बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर ही प्राथमिक डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। यदि वादी के कथन व प्रेयर का भी अवलोकन किया जावे तो वादी स्वयं भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाना चाहता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल कब्जा के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राथमिक डिक्री में किया गया अंकन त्रुटि पूर्ण है।

दावे के साथ संलग्न जमाबंदी संवत 2065–2068 प्रदर्श–1 में वादग्रस्त भूमि के खातेदार भंवरसिंह, गम्भीरसिंह, पि. मोडसिंह, मु. कमला कंवर बेवा मुलतानसिंह, भगसिंह, रेवतसिंह, हनुमानसिंह कालूसिंह पि. मुलतानसिंह इन्द्रसिंह पि. सोहनसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार अंकित है। उसके बाद नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 05.11.2011 हक त्याग गंभीरसिंह पि. मोडसिंह की जगह कमूकंवर पत्नी गंभीरसिंह हीरसिंह भोमसिंह पि. गंभीरसिंह नाबालिग वलीया माता कमूकंवर पत्नी गंभीरसिह दर्ज शेष बदस्तूर। ऐसी स्थिति में वादी का संपूर्ण हिस्से में 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 6 से 10 का संपूर्ण भूमि में 1/3 हिस्सा किस प्रकार तय किया है पूरा विश्लेषण अंकित नहीं हैं तथा प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा भी तय नहीं किया है तथा तय न करने का कारण भी अंकित नहीं किया है। जबकि प्रकरण में प्रतिवादीगण को प्रोपर तामील कराए बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही कर दी है अतः प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को सुने बगैर जो हिस्से तय किए हैं वे रेस्पों के मुताबिक तय किए गए प्रतीत होते हैं जो विधिक दृष्टि से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते हैं। दावा विभाजन व घोषणा का है जिसमें तहसीलदार फलोदी भी पक्षकार है जो भूमिधारी है अतः इस प्रकरण में उनकी ओर से कोई जबाब नहीं लिया गया है न ही उनकी बहस सुनी गई है। न ही उनकी एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। जबकि भूमि विभाजन के मामले में भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होता है तो उसका जबाब भी लिया जाना आवश्यक होता है। अतः उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.05.2012 निरस्त योग्य पाई जाती है एवं प्रकरण रिमाण्ड योग्य है।

23/7
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

11 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2012 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट्स/प्रतिवादीगण का जबाबदावा लेकर तनकीयात कायम करें एवं प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर तनकीवार विवेचन करते हुए पुनः निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करें।

23/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

12 निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर